सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
03/2014	प्रा.पत्र 251-A RTA	24.02.2014	23.01.2018

1. यासीन पुत्र आमीन
2. रहमान पुत्र नबु
3. जीवण पुत्र नबु

} जाति तेली निवासीगण चूरू

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हलीमा पत्नी मोहम्मद सलीम
2. मोहम्मद सलीम पुत्र सुभान

} जाति तेली निवासीगण चूरू

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू
4. इब्राहिम
5. साबिरा

} पुत्र व पुत्री कुरड़ा जाति तेली निवासीगण चूरू

6. मोहम्मद आमीन
7. अब्दुलरहमान
8. इमामुदीन
9. गुलामहुसैन

} पुत्रगण जारू जाति तेली निवासीगण चूरू

–अप्रार्थीगण–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र जाखड़ प्रार्थीगण
2. अधिवक्ता श्री सन्तलाल सहारण अप्रार्थी सं. 1 व 2

निर्णय

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी संख्या 1 कृषि भूमि खसरा नम्बर 783/167 रोही मौजा चूरू का, प्रार्थी संख्या 2 कृषि भूमि खसरा नम्बर 781/167 रोही मौजा चूरू का, प्रार्थी संख्या 3 कृषि भूमि खसरा नम्बर 781/167 रोही मौजा चूरू के खातेदार, काबिज काश्तकार हैं तथा अप्रार्थीगण संख्या 1, 2 व 4 ता 9 कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 रोही मौजा चूरू के संयुक्त खातेदार, काबिज काश्तकार हैं। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण कस्बा चूरू के स्थाई निवासीगण हैं, प्रार्थीगण की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 781/167, 782/167, 783/167 अप्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 से आगे चिपती हुई हैं। प्रार्थीगण की कृषि भूमियों में आवागमन का पीढ़ियों से एक मात्र रास्ता चूरू से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित गॉव श्यामपुरा बस स्टैण्ड से खारिया जाने वाले कटाणी रास्ते से फंटकर आगे सार्वजनिक जोहड़ी में से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 166 में से होकर रहा है– उक्त रास्ता का उपयोग प्रार्थीगण के पूर्वज व प्रार्थीगण पीढ़ियों से करते आ रहे है। जिसका एनेक्जर "क" तैयार कर पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 166 की एक पूर्व खातेदार बलकेश पत्नी हाजी सतार खां जोईया जाति कायमखानी निवासीनी चूरू जिसके हक हिस्सा व कब्जा काश्त में ख. नं. 166 में दक्षिणी तरफ का हिस्सा आया हुआ था के द्वारा अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को जरिये विक्रय पत्र बेच दिया है– अब उक्त केतागण अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर प्रार्थीगण के खेतों का रास्ता रोकने की फिराक में है। इनके साथ–साथ ख. नं. 166 के शेष खातेदारान अप्रार्थीगण संख्या 04 ता 09 भी दबी जुबान से प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का रास्ता रोकने की बातें कर रहे है व धमकियां भी दे रहे है। यह कि प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का एक मात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी की कृषि भूमि ख. नं. 166 में से होकर सदामद से पीढ़ियों से रहा है। उक्त रास्ता को अप्रार्थीगण रोकने की फिराक में है व धमकियां दे रहे है– इसलिए प्रार्थीगण के लिए अब आवश्यक हो गया है कि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमियों में आवागमन हेतु पीढ़ियों से खसरा नं. 166 में से होकर चालू रहे रास्ता को राजस्व रिकॉर्ड में कटवाये, मौके पर निर्धारित लम्बाई–चौड़ाई में सार्वजनिक जोहड़ी की उत्तरी सींव से अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां ख. नं. 781/167, ख. नं. 782/167, ख. नं. 783/167 की दक्षिणी सींव तक कायम करवाये– इस हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है।

यह कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 166 में से होकर सदैव से पीढ़ियों से प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन के रहे रास्ता को बन्द करने की अप्रार्थीगण द्वारा दी जाने वाली धमकियां नहीं देने व चेष्टा न करने हेतु कई बार कहा व दूसरों से भी कहलवाया– पहले तो अप्रार्थीगण हाँ–हूँ करते रहे मगर आखिर में दिनांक 7–2–14 को स्पष्ट रूप से इन्कार हो गये। प्रार्थीगण ख. नं. 781/167, ख. नं. 782/167, ख. नं. 783/167 रोही मौजा चूरू के खातेदार, काबिज काश्तकार होने से तथा ख. नं. 166 रोही मौजा चूरू में से होकर प्रार्थीगण के खेतों का एक मात्र रास्ता होने से तथा उक्त रास्ता का प्रार्थीगण द्वारा पीढियों से उपयोग–उपभोग करने से इस आवेदन पत्र के प्रति प्रार्थीगण को आधार प्राप्त है तथा अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 7–2–14 को विवादित रास्ता की बाबत की गई स्पष्ट ईन्कारी की तिथि से इस आवेदन पत्र के प्रति प्रार्थीगण को कारण प्राप्त है। यह कि विवादित कृषि भूमियों का राजस्व रिकॉर्ड अप्रार्थी संख्या 3 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू के पावर व पजेशन में है। प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार होने पर प्रार्थना पत्र में पारित आदेश की पालना अप्रार्थी संख्या 3 की मार्फत होने से अप्रार्थी संख्या 3 को पक्षकार प्रार्थना पत्र बतौर अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अप्रार्थी संख्या 3 के विरूद्ध कोई नुकसान प्रद अनुतोष नहीं चाहा गया है इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 को बिना 80 दिवानी प्रकिया संहिता का नोटिस दिये यह आवेदन पत्र पेश किया जा रहा है। यह कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की ख. नं. 116 की भूमि में से काटे जाने वाले निर्धारित चौड़ाई व लम्बाई के रास्ता में जाने वाली भूमि की कीमत डी. एल. सी. दर की दुगुनी कीमत अप्रार्थीगण को अदा करने को तैयार है। यह कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमियां श्रीमानजी के अधिकार क्षैत्र में स्थित होने के कारण से इस आवेदन पत्र के प्रति श्रीमानजी को हर प्रकार से श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार प्राप्त है। आवेदन पत्र उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद पेश है।

अतः आवेदन पत्र (प्रार्थना पत्र) मय शपथ पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के खेत ख. नं. 781/167, ख. नं. 782/167, ख. नं.

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

783/167 रोही मौजा चूरू में सदामद पीढ़ियों से रास्ता चूरू से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित गाँव श्यामपुरा बस स्टैण्ड से खारिया जाने वाले कटाणी रास्ता से फँटकर आगे सार्वजनिक जोहड़ी की उत्तरी सींव से अप्रार्थीगण की कृषि भूमि ख. नं. 781/167, ख. नं. 782/167, ख. नं. 783/167 की दक्षिणी सींव तक कायम किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थीगण की ओर से पेश प्रार्थना पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री सन्तलाल सहारण एडवोकेट एवं अप्रार्थी सं. 4, 5, 7, 8, 9 की ओर से श्री सुरेन्द्र डुडी एडवोकेट उपस्थित आए एवं अप्रार्थी सं. 6 के विधिवत तामील के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल मिसल किया गया। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात् काफी समय तक पत्रावली उक्त प्रार्थना पत्र की बहस में लम्बित चलती रही। इस दौरान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सी.पी.सी. का पेश किया जिसकी प्रति वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 को दी जाकर शामिल मिसल किया। पत्रावली प्रा0पत्र के जवाब व बहस में नियत की गई। मूल प्रार्थना पत्र रास्ते सम्बन्ध होने से बिन्दुवार जांच रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार, चूरू को लिखा गया।

तहसीलदार, चूरू से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील अप्रार्थी ने आपत्ति पेश करने हेतु नकल व अवसर की मांग की। वकील अप्रार्थी को नकल व अवसर दिया गया। वकील अप्रार्थी ने दिनांक 10.02.16 को आपत्ति प्रा0 पत्र पेश किया। तत्पश्चात् पत्रावली प्रा0पत्रों के जवाब व बहस में लम्बित रही। जवाब पेश नहीं करने पर जवाब बन्द किया जाकर पत्रावली प्रार्थना पत्र 7/11 व 6/17 व 151 पर बहस हेतु नियत की गई। दिनांक 12.07.16 को दोनों प्रार्थना पत्रों पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र 7/11 में वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायालय के क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में अंकित किया कि धारा 251 क आरटीए का क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है जो कि न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पाया जाता है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिक प्रावधानों के अनुरूप ही पेश किया गया होने से प्रा.पत्र 7/11 खारिज किया गया। प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र 6/17 व 151 में प्रश्नगत कृषि भूमि की रोही बीनासर की बजाय चूरू सहवन से अंकित होना बताते हुए लिपिकीय भूल से हुई त्रुटि के मध्यनजर इसे सही रूप से रोही चूरू की बजाय बीनासर अंकित करवाने का निवेदन किया जबकि वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने रोही गलत अंकित करने से मूल प्रार्थना को खारिज करने का निवेदन किया। प्रा0पत्र के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष द्वारा की गई बहस के तथ्यों पर मनन के पश्चात् उक्त त्रुटि को मात्र लिपिकीय भूल मानते हुए न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मूल प्रार्थना पत्र में रोही मौजा चूरू की रोही मौजा बीनासर लाल स्याही से अंकित करने का आदेश दिया एवं वकील अप्रार्थी को जवाब मूल प्रार्थना पत्र का जवाब पेश करने हेतु निर्देश दिये गये। वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रति वकील प्रार्थीगण को दी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली आपत्ति प्रा0पत्र पर बहस हेतु नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर पेश जवाब में अंकित किया कि प्रार्थना पत्र की मद सं. एक मे लिखे तथ्य जानकारी के अभाव में अस्वीकार हैं। कृषि भूमि खसरा नम्बर 783/167 रोही मौजा चूरू का जवाब प्रस्तुत कर्ता को ज्ञान नहीं है यह तथ्य प्रार्थीगण ही प्रमाणित करेंगे। वास्तविकता यह है कि अप्रार्थीगण सं. 1 ता 2 खसरा नं. 166 व 171 के खसरा नं. 171 की दिनांक 03.07.12 को 4 बीघा 5 विश्वा कृषि भूमि रोही मौजा बीनासर त. चूरू के खातेदार काबिज काश्तकार चले आ रहे हैं। जवाब प्रस्तुतकर्ता की कोई कृषि भूमि रोही मौजा चूरू में स्थित नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में लिखे तथ्य मनघड़न्त व बनावटी अंकित किये गये हैं जो गलत होने से अस्वीकार हैं इस मद में अप्रार्थीगण का रिहायश चूरू में होना सही अंकित किया है परन्तु खसरा नं. 781/167, 782/167 वा 783/167 अप्रार्थीगण की कृषि भूमियों के आगे (चिपती हुई कृषि भूमि खसरा नं. 166 व 171 में से एकमात्र रास्ता चूरू से रतनगढ़ जाने वाली सड़क पर स्थित गांव श्यामपुरा बस स्टैण्ड से खारिया जाने वाली कटाणी रास्ते से निकलकर आगे सार्वजनिक जोहड़ी में से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत में से होकर जा रहा है, ये कथन प्रार्थीगण ने बेबुनियाद व मनघड़न्त अंकित करवाये हैं वा गलत रास्ता कायम करने की कुचेष्टा की है वास्तविकता यह है कि प्रार्थी सं. 2 रहमान पुत्र नबु के हिस्से की कृषि भूमि में से रोही मौजा बीनासर त. चूरू के चिपते कटाणी रास्ता खारिया गांव को जाता है जो मौके पर कायम है व राजस्व रिकार्ड में चला आ रहा है प्रार्थीगण इसी रास्ते से सदामद से आवागमन करते आ रहे हैं अब प्रार्थीगण की नीयत में खेट आ गया वा नया रास्ता कायम कर कृषि भूमियों को छोटे छोटे प्लॉट में बेचने की फिराक में हैं जबकि जवाब प्रस्तुतकर्ता ने उक्त कृषि भूमि दिनांक 03.07.12 को क्रय की उसी समय पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर अपना दरवाजा लगाकर अपना कब्जा व स्वामित्व स्थापित कर रखा है व उक्त कृषि भूमि खसरा नं. 166 व 171 की खसरा नं. 171 की 24 बीघा 5 विश्वा पर शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग जवाब प्रस्तुतकर्ता चला आ रहा है। इस मद में प्रस्तुत अनेक्जर 'क' गलत व मनमर्जी से तैयार किया गया है जो राजस्व रिकार्ड के विपरीत है।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 3 में जिस प्रकार से तथ्यों का अनेक्जर हवाला दिया गया है वो गलत है वास्तविकता यह है कि अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने श्रीमती बलकेश पत्नी हाजी सतार खां जोईया नि. वन विहार कॉलोनी, चूरू से उसके हिस्से की कृषि भूमि खसरा नं. 171 तादादी 24 बीघा 5 विश्वा दिनांक 03.07.12 को क्रय की व उसी समय कब्जा प्राप्त कर मौके पर सम्पूर्ण कृषि भूमि के पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर दरवाजा स्थापित कर उक्त कृषि भूमि को अप्रार्थी सं. 1 व 2 उपयोग उपभोग व काश्त में लेते आ रहे हैं। इस मद में रास्ता रोकने व पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर प्रार्थीगण के खेतों का रास्ता रोकने की फिराक में है प्रार्थीगण ने मनघड़न्त व बेबुनियाद प्रार्थीगण के द्वारा गलत अंकित करवाये गये हैं। प्रार्थीगण का किसी भी प्रकार से अप्रार्थीगण के खसरा नं. 166 व 171 में से कोई रास्ता नहीं है जबकि नया रास्ता कायम करवाने की कुचेष्टा प्रार्थीगण द्वारा की जा रही है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 4 में लिखे तथ्य गलत होने से स्वीकार नहीं अस्वीकार हैं। इस मद में प्रार्थीगण द्वारा यह अंकन करना कि प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन का एकमात्र रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नं. 166 में से होकर सदामद से पीढ़ियों से रहा है। प्रार्थना पत्र को रंगत देने की नीयत से प्रार्थीगण ने बिल्कुल झूठा अंकित किया है। जवाब प्रस्तुतकर्ता ने ना तो किसी प्रकार की धमकी दी वा ना ही किसी प्रकार से रास्ता रोकने की फिराक में हैं जबकि जवाब प्रस्तुतकर्ता का अपनी

उपखण्ड अधिक
चूरू

कृषि भूमि का कब्जा उपयोग उपभोग का काश्त उक्त कृषि भूमि पर शान्तिपूर्वक साधिकार चला आ रहा है। प्रार्थीगण अपने फायदे के लिए नया रास्ता कायम करवाने की कुचेष्टा में यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि प्रार्थीगण के खसरा नं. 783/167 के पास से कटाणी रास्ता जो खारिया गांव को जाता है, मौके पर चालू है व राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चालू है। इसलिए प्रार्थीगण खसरा नं. 166 में से चालू रहे रास्ता को राजस्व रिकार्ड में कटवाने वा मौके पर निर्धारित लम्बाई चौड़ाई में सार्वजनिक जोहड़ी की उतरी सींव से अप्रार्थिनी की कृषि भूमियां ख. नं. 781/167, 782/167, 783/167 की दक्षिणी सींव तक कायम करवाने का कथन कतई माने जाने योग्य नहीं है वा ना ही कानूनन। जब एक रास्ता मौके पर चालू है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता।

यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 5 में लिखे तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। इस मद में धमकियां देने वा दिनांक 07.02.14 को स्पष्ट रूप से इन्कार हो जाने के तथ्य प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को सिर्फ आधार बनाने के लिए अपनी मर्जी से अंकित करवाये हैं जबकि अप्रार्थी सं. 1 वा 2 से कभी कोई अप्रार्थीगण की बात नहीं हुई। इस मद में प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 781/167 खसरा नं. 782/167 वा 783/167 रोही मौजा चूरू के खातेदार काबिज काश्तकार होने का कथन किया है जो प्रार्थीगण स्वयं अपनी कथनी से सिद्ध करें। अप्रार्थी सं. 1 वा 2 को इस कृषि भूमि के विषय में ज्ञान नहीं है परन्तु उक्त खसरा नं. 781/167, 782/167, 783/167 की कृषि भूमि रोही मौजा बीनासर तहसील चूरू मे जरूर स्थित है। प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र बिनाय प्रार्थना पत्र वा बिनाय मुखास्मत प्राप्त नहीं है। मौके पर प्रार्थीगण के खसरा नं. 783/167 से कटानी रास्ता खारिया को जाता है वा राजस्व रिकार्ड के मुताबिक चालू है अब नया रास्ता इस प्रार्थना पत्र से कायम करवाना चाहते हैं जो कानूनन नहीं दिया जा सकता इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही सुनवाई योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 6 में राजस्थान सरकार को पक्षकार अप्रार्थी सं. 3 बनाया गया है इसलिए जाब्ता दीवानी का 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया जाना कानूनन आवश्यक है जो नहीं दिये जाने के कारण यह प्रार्थना पत्र सुनवाई योग्य नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 7 में लिखे तथ्य गलत होने से अस्वीकार हैं। यह कि प्रार्थना पत्र की मद सं. 8 कानूनी है जवाब की आवश्यकता नहीं है परन्तु रिलीफ जो चाही गई है वो कानूनन अप्रार्थीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं क्योंकि जब प्रार्थीगण के खसरा नं. 783/167 प्रार्थी सं. 2 रहमान के हिस्से के पास से कटानी रास्ता खारिया गांव को जाता है वो मौके पर चालू है तो प्रार्थीगण नया रास्ता कानूनन रिकार्ड में कायम नहीं करवा सकते इसलिए प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 ने अपने जवाब के विशेष कथन में अंकित किया कि अप्रार्थी सं. 1 ता 2 ने उक्त कृषि भूमि पूर्व के खातेदार से पंजीकृत विकय पत्र दिनांक 16.01.09 कार्यालय उप पंजीयक, चूरू एक कृषि भूमि स्वयं की खातेदारी में रोही मौजा बीनासर पटवार क्षेत्र बीनासर तहसील व जिला चूरू में दो खसरा नं. 166 तादादी 20 बीघा 6 विश्वा व खसरा नं. 171 तादादी 24 बीघा 5 विश्वा कुल क्षेत्रफल 44 बीघा 11 विश्वा में हिस्सेजात मुताबिक रेवेन्यू रिकार्ड नामान्तरकरण सं. 837 दिनांक 21.05.12 विकय पत्र इब्राहिम, असगर पि. कुरड़ा ब.हि.ब. 16.12 बीघा, साबिरा पुत्री कुरड़ा 3.14 बीघा जाति तेली व बलकेश पत्नी हाजी सत्तार खां जोईया 24.05 बीघा जाति कायमखानी सा. कस्बा चूरू खातेदार स्थित है। जिसके अनुसार में विकेता

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

(श्रीमती बुलकेश) 24 बीघा 5 विश्वा कृषि भूमि की एकमात्र खातेदार काश्तकार दर्ज है। उक्त कृषि भूमि श्रीमती बुलकेश के खातेदारी की थी जिसको अप्रार्थी सं. 1 वा 2 ने दिनांक 03.07.12 को जरिये रजिस्टर्ड बैनामा कय कर कब्जा प्राप्त किया था उसी समय पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर दरवाजा स्थापित किया था तब से लेकर आज तक शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त अप्रार्थी सं. 1 वा 2 का चला आ रहा है। यह कि प्रार्थीगण ने जवाब प्रस्तुतकर्ता को तंग परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीगण की कोई कृषि भूमि खसरा नं. 783/167 रोही मौजा चूरू में स्थित नहीं है बल्कि ख.नं. 781/167, 782/167, 783/167 रोही मौजा बीनासर तहसील व जिला चूरू में स्थित हैं। उक्त खसरा नम्बर के खातेदार रहमान प्रार्थी सं. 2 के चिपते कटाणी रास्ता जो खारिया गांव को जाता है वर्तमान में चालू है वा राजजस्व रिकार्ड में मौजूद है इसी रास्ते का उक्त प्रार्थीगण उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। प्रार्थीगण का खसरा नं. 166 व 171 से कोई रास्ता काम में नहीं लिया जा रहा है वा कानून के विपरीत यह नया रास्ता कायम करवाना चाहते हैं ताकि उक्त अपनी कृषि भूमि को छोटे छोटे प्लॉटों में बेचना चाहते हैं।

अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त जांच रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा पेश आपत्ति प्रा0पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील आपत्तिकर्ता ने अपनी बहस में प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थीगण को लिखित में कोई सूचना नहीं दी गई। मौका रिपोर्ट अप्रार्थीगण की अनुपस्थिति में एकतरफा तैयार कर भिजवाई गई है जो पुनः मंगवाई जावे। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट ग्राम के मौतविरान एवं अप्रार्थी व प्रार्थीपक्ष की उपस्थिति में भिजवाई गई है जिनके मौका रिपोर्ट पर हस्ताक्षर अंकित हैं। बाद बहस मौका रिपोर्ट के अवलोकन से अप्रार्थी सं. 1 व 2 की अनुपस्थिति में तैयार की गई पाई जाने पर तहसीलदार, चूरू को पुनः निर्देशित किया गया कि अप्रार्थी पक्ष को लिखित में सूचना देकर मौके पर बुलवाएं एवं उनकी उपस्थिति में विधिक प्रस्ताव भिजवाएं। तहसीलदार, चूरू से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील अप्रार्थी ने मौखिक रूप से आपत्ति करते हुए कथन किया कि तहसीलदार चूरू द्वारा नियमानुसार रिपोर्ट तैयार कर नहीं भिजवाई गई है। पूर्व की रिपोर्ट ही पुनः भिजवाई गई है। अतः मौका रिपोर्ट दुबारा मंगवाई जावे। वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रिपोर्ट के आधार पर ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। बाद अवलोकन तहसीलदार, चूरू द्वारा पेश मौका रिपोर्ट नियमानुसार नहीं होने से धारा 251 ए की मूल भावना के अनुरूप निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार ही भू–अभिलेख निरीक्षक स्तर के कार्मिक द्वारा या स्वयं तहसीलदार द्वारा तैयार की जाकर पेश करने के निर्देश दिये गये तथा वकील उभयपक्ष को तहसीलदार चूरू से समन्वय स्थापित करते हुए प्रस्ताव हेतु निर्धारित तिथि को अपने–अपने पक्षकारों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। तहसीलदार चूरू से दिनांक 02.05.17 को बिन्दुवार रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की जाकर पत्रावली मूल बहस हेतु नियत की गई जिस दिनांक को वकील अप्रार्थी बहस हेतु उपस्थित नहीं हुए जिस पर वकील प्रार्थीगण ने आपत्ति दर्ज कराते हुए कथन किया कि वकील अप्रार्थी बार बार आपत्ति दर्ज करा रहे हैं अतः अन्तिम प्राप्त रिपोर्ट पर बहस सुनी जावे। न्यायहित में बहस हेतु अन्तिम अवसर दिया गया परन्तु वकील अप्रार्थी आगामी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

तारीख पेशी पर बहस नहीं कर आपत्ति पेश करने हेतु समय चाहा जिस पर कई अवसर दिये गये। अन्ततः आवश्यक रूप से बहस की हिदायत दी गई। नियत दिनांक को वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

वकील अप्रार्थी ने आपत्ति पर बहस करते हुए जाहिर किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता धारा 251 ए के प्रावधान के मुताबिक निकटतम नहीं है जबकि निकटतम अन्य रास्ता उपलब्ध है, जैसा कि मौका रिपोर्ट में दर्शित है परन्तु मौका रिपोर्ट में उक्त निकटतम रास्ते का कोई उल्लेख तहसीलदार, चूरू द्वारा नहीं किया गया है। इसलिए मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि मौका रिपोर्ट में दर्शित उक्त निकटतम रास्ता, जिसका उल्लेख वकील अप्रार्थी कर रहे हैं, वह निकटतम नहीं है तथा उक्त रास्ते व प्रार्थीगण के खेतों के मध्य अन्य लोगों के खेत स्थित है, जो इस प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं हैं। इसलिए प्रार्थीगण जहां से सदैव आवागमन करते रहे हैं वहीं से रास्ता कायम किया जावे क्योंकि ना तो उल्लेखित रास्ता सुगम है एवं ना ही निकटतम तथा नया रास्ता कायम करने में उक्त रास्ते के मध्य में आने वाले खातेदार भी इससे सहमत नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में अनावश्यक विलम्ब होगा। अतः आपत्ति खारिज की जाकर तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्टों के अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 28.04.17 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन हेतु अन्य निकटतम रास्ते का विकल्प मौजूद है जिस पर विधिक प्रावधान के मुताबिक निकटतम रास्ते का प्रस्ताव मंगवाया जाना उचित समझते हुए मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाने का आदेश दिया गया। तहसीलदार, चूरू से दिनांक 07.12.17 को मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की जाकर पत्रावली मौका रिपोर्ट पर बहस हेतु नियत की गई। वकील उभयपक्ष ने मौका रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद सीधे मूल प्रार्थना पत्र पर ही बहस सुनने का निवेदन किया, जिस पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में जाहिर किया कि हमारा रास्ता सदामत से अप्रार्थी सं. 1 व 2 के खेतों में से रहा है जिस पर उक्त खेतों के पूर्व खातेदारों की निर्विवाद सहमति रही है परन्तु अप्रार्थी सं. 1 व 2 द्वारा उक्त खेतों का क्रय करने के बाद उक्त रास्ते को पट्टियां रोपकर तारबन्दी करके बन्द कर दिया गया। हमारा रास्ता हमेशा से वादगत खेतों में से रहा है। अप्रार्थीगण के खेतों से पहले जोहड़ पायतन की भूमि है जिसमें से आने जाने की कोई रोक नहीं है तथा प्रार्थीगण डी.एल.सी. दर की दुगुनी राशि देने को तैयार हैं। तहसीलदार, चूरू से प्राप्त रिपोर्टों में भी उक्त रास्ते को न्यायसंगत बताया है। इसलिए ख.नं. 166 व 171 के मध्य से रास्ता कायम करने का आदेश प्रदान किया जावे। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपनी बहस में जाहिर किया कि तहसीलदार, चूरू से प्राप्त तीनों रिपोर्टों में प्रार्थीगण के खेतों के चिपता रास्ता बीनासर की तरफ से मौजूद है तथा चाहा गया रास्ता बन्द है। इसलिए बीनासर की तरफ का रास्ता देने में मुश्किल नहीं है। वकील प्रार्थीगण ने पुनः कथन किया कि बीनासर की तरफ के रास्ते व प्रार्थीगण के खेतों के मध्य अन्य खातेदारों के खेत स्थित हैं जिनमें से पूर्व में कभी भी हमारा रास्ता नहीं रहा है एवं वाद बहुलता बढ़ने की सम्भावना है। हमारा रास्ता जहां से मौके पर पूर्व में चला आ रहा है, वहीं से रास्ता कायम किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली, पेश दस्तावेजात एवं तहसीलदार, चूरू से प्राप्त बिन्दुवार मौका रिपोर्ट मय प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अवलोकन व चिन्तन मनन किया गया। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि प्रार्थीगण के खातेदारी कृषि भूमि ख.नं. 781/167, 782/167, 783/167 रोही ग्राम बीनासर में अवागमन हेतु सदामत से एकमात्र रास्ता चूरू से रतनगढ जाने वाली सड़क पर स्थित ग्राम श्यामपुरा बस स्टैण्ड से खारिया जाने वाले कटानी रास्ते फंटकर आगे सार्वजनिक जोहड़ी में से होता हुआ अप्रार्थीगण के खेत ख.नं. 166 में से होकर रहा है जिस पर ख.नं. 166 के पूर्व खातेदारों की सहमति रही है। उक्त ख.नं. 166 की दक्षिणी तरफ का हिस्सा, जिसमें से होकर उक्त रास्ता जाता है, जिस खातेदार के हिस्से में आया हुआ था उसने अपना सम्पूर्ण हिस्सा अप्रार्थी सं. 1 व 2 का विक्रय पत्र से विक्रय कर दिया एवं क्रेता खातेदार ने पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर दी जिससे प्रार्थीगण का रास्ता बन्द हो गया प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 व 2 को उक्त रास्ता खोलने का बार–बार कहा व कहलवाया परन्तु वे इन्कार हो गये। इसलिए प्रार्थीगण ने अपने खेतों में आवागमन के लिए रास्ता राजस्व रिकार्ड में कायम करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है जो स्वीकार किया जाकर सार्वजनिक जोहड़ी की उत्तरी सींव से ख.नं. 166 में से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख.नं. 781/167, 782/167, 783/167 की दक्षिणी सींव तक रास्ता कायम किया जावे। अप्रार्थी सं. 1 व 2 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि अप्रार्थीगण के खेतों में से होकर प्रार्थीगण का कोई रास्ता नहीं है। अप्रार्थीगण ने अपने खेतों के चारों तरफ पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर गेट लगा रखा है। प्रार्थीगण के खेतों में अवागमन के लिए ग्राम बीनासर से खारिया जाने वाला कटानी रास्ता मौजूद है जो प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 783/167 के पास से होकर जाता है। जब एक रास्ता मौजूद है तो सुविधा के लिए दूसरा रास्ता कानूनन नहीं दिया जा सकता। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा के खारिज फरमाया जावे।

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के अन्तर्गत धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के मुताबिक निर्धारित बिन्दुओं के अनुसार तहसीलदार, चूरू से प्राप्त तीन मौका रिपोर्ट मय विस्तृत रास्ता प्रस्ताव का भी अवलोकन किया गया। तहसीलदार, चूरू से प्राप्त तीनों मौका रिपोर्टों में प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन हेतु रास्ता सदामत से ख.नं. 166 व 171 की सींव में से बताया गया है। प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है एवं सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं होना अंकित किया है। साथ ही अन्य विकल्प की सम्भावना भी न्यूनतम अंकित की है। तहसीलदार, चूरू से प्राप्त अन्तिम रिपोर्ट में भी उक्त रास्ता ख.नं. 166 के पूर्वी तरफ व ख.नं. 171 के पश्चिम तरफ सीमा से होते हुए जाना अंकित किया है। अन्य विकल्प जो वकील अप्रार्थीगण ने बताया है उसके सम्बन्ध में तहसीलदार, चूरू ने अपनी अन्तिम मौका रिपोर्ट में अंकित किया है कि ख.नं. 166 के पश्चिमी तरफ की रेतीले टीबों की भूमि है एवं टीबों की ढलान के बाद हरी खेजड़ियां अधिक संख्या में मौजूद हैं। इसलिए प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए अन्य उचित विकल्प मौजूद नहीं होने से प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते को ही कायम किया जाना उचित बताया है। रास्ते की लम्बाई 90 गट्ठा अर्थात् 725 फीट अंकित की है जिसमें से ख.नं. 166 में से 5 विश्वा एवं ख.नं. 171 में से 4 विश्वा कुल 9 विश्वा भूमि गै0मु0 रास्ता में अंकित करने का प्रस्ताव भिजवाया गया है। उक्त मौका रिपोर्ट में पड़ौसी खातेदार एवं ग्राम के मुखियान ने भी प्रस्तावित रास्ता सदामत से चला आ रहा होना बताया है। मौका रिपोर्ट दिनांक 23.07.15 पर खेत के पड़ौसी खातेदारों, ग्राम के मौतविरान एवं प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 4 व 7 के हस्ताक्षर अंकित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दिनांक 22.02.17 को तैयार की गई रिपोर्ट में अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जरिये नोटिस दिनांक 13.02.2017 को सूचित किया गया है, जिसके नोटिस की प्रति संलग्न है। अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार करते समय अप्रार्थीगण का पुत्र साजिद उपस्थित होना अंकित है परन्तु उसने रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया जिससे उसके हस्ताक्षर अंकित नहीं है। पत्रावली पर पेश जमाबन्दी ग्राम बीनासर सम्वत् 2068 से 2071 के ख.नं. 783/167 में प्रार्थी यासीन पुत्र आमीन, ख.नं. 781/167 में प्रार्थी रहमान पुत्र नबू एवं ख.नं. 782/167 में प्रार्थी जीवण पुत्र नबू खातेदार अंकित हैं। ख.नं. 166 व 171 की कुल तादादी 44.11 बीघा में से 24.05 बीघा के अप्रार्थी सं. 1 व 2 खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। एनेक्जर 'क' में प्रार्थीगण ने अपने खेतों में आवागमन के लिए ख.नं. 166 में से चाहे गये रास्ते को दर्शित किया है। बैनामा दिनांक 03.07.2012 के अनुसार तत्समय की खातेदार बलकेश द्वारा अपने खातेदारी के 24.05 बीघा हिस्सा भूमि को अप्रार्थी सं. 1 व 2 हलीमा व सलीम को विक्रय किया है तथा उक्त विक्रय पत्र में विक्रित कृषि भूमि 24.05 बीघा को ख.नं. 171 में होना अंकित करते हुए सम्पूर्ण हिस्सा भूमि को बेचा जाना अंकित है। वकील प्रार्थीगण द्वारा पत्रावली में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 क की प्रति भी पेश की गई है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ते के प्रावधान अंकित हैं।

प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज, जवाब प्रार्थना पत्र, तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय विस्तृत प्रस्ताव के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों के विश्लेषण के पश्चात् यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के खातेदारी खेत ख.नं. 781/167, 782/167, 783/167 रोही ग्राम बीनासर में आवागमन का कोई रास्ता मौजूद नहीं होने से उनके द्वारा धारा 251 ए आर.टी.ए. के तहत यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि जिस खातेदार के खेत में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है वह दूसरे खातेदार के खेत में से रास्ता की मांग उक्त प्रावधान के तहत कर सकता है। इसलिए प्रथम दृष्टया प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उचित प्रतीत होता है। प्रार्थीगण द्वारा जिन खातेदारों के खेतों में से रास्ते की मांग की गई है, जो कि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है, उनमें से कतिपय खातेदारों ने अपनी सहमति भी प्रदान की है परन्तु उक्त संयुक्त खातेदारी में से वह हिस्सा जहां से रास्ता चाहा गया है, जिन संयुक्त खातेदारों अप्रार्थी सं. 1 व 2 के हिस्से में मौके पर आता है, उन्होंने अपने हिस्से की भूमि में मौके पर पट्टियां रोपकर तारबन्दी कर रखी है तथा उन्होंने उक्त रास्ता बाबत अपने जवाब व बहस में इन्कार किया है। जबकि तहसीलदार, चूरू से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय रास्ता प्रस्ताव के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए रास्ता ख.नं. 166 व 171 के मध्य स्थित सींव में होकर सदामत से रहा है जिसको उक्त खेतों के पड़ौसी खातेदारों एवं ग्राम के मुखियान ने भी स्वीकार किया है। मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण के खेतों में आने जाने के लिए अन्य निकटतम एवं उचित विकल्प मौजूद नहीं होकर केवल चाहा गया रास्ता ही एकमात्र उचित विकल्प है। इस प्रकार नवीन रास्ते से सम्बन्धित विधिक तथ्य प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होते हैं। प्रार्थीगण के खेतों में आवागमन के लिए अन्य कोई विकल्प मौजूद नहीं हैं एवं प्रार्थीगण रास्ते में अंकित होने वाली भूमि की एवज में अप्रार्थीगण को वादगत कृषि भूमि की डी.एल.सी. की दुगुनी दर की राशि का भुगतान करने को तैयार हैं। इसलिए धारा 251 ए आर.टी.ए. के प्रावधानों की रोशनी में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण के पक्ष का प्रमाणित होने से स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

अतः उपरोक्त विस्तृत विवेचना एवं विधिक प्रावधानों के मध्यजनर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत ख.नं. 781/167, 782/167, 783/167 रोही ग्राम बीनासर में आवागमन हेतु जोहड़ पायतन की उत्तरी सींव से लेकर ख.नं. 166 की पूर्वी सीमा व ख.नं. 171 की पश्चिमी सीमा के मध्य स्थित सींव में से होकर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों तक दो गट्ठा चौड़ाई एवं 90 गट्ठा लम्बाई का गै0मु0 रास्ता राजस्व अभिलेख में कायम करने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीगण को ग्राम बीनासर की डी.एल.सी. 57220 प्रति बीघा की दर से गै0मु0 रास्ते में जाने वाली ख.नं. 166 की 5 विश्वा एवं ख.नं. 171 की 4 विश्वा कुल 9 विश्वा कृषि भूमि की दुगुनी राशि 51498/— रूपये अप्रार्थी सं. 1 व 2 को अदा कर प्राप्ति रसीद तहसीलदार, चूरू को देने का आदेश दिया जाता है तथा तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थीगण से रास्ते की एवज राशि की भुगतान की सुनिश्चितता करते हुए उक्त रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकित कर इस न्यायालय को अवगत करावें।

आदेश आज दिनांक 23.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू